

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 32/21

वर्ष 2021

GCMS No- 2021/155

बउनवानी:- 1. कमलेश पुत्र बंदी मीना निवासी जैसापुरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम जैसापुरा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.97 है0 मे से 0.2238 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो की संख्या से कम मुआवजा देने बाबत।

उपस्थित:-1. श्री उमाशंकर शर्मा
2. श्री दीपक शर्मा

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थी 2

:- निर्णय :-

दिनांक:- 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम जैसापुरा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.97 है0 मे से 0.2238 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो की संख्या से कम मुआवजा देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/385 दिनांक 27.8.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।


वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 289 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम जैसापुरा भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काशत की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी के लगभग 120 अमरुद्ध के पेड 7 वर्ष पुराने लगे हुए है जिनके स्थान पर मात्र 35 वृक्ष 2 वर्ष की आयु के हिसाब से अवार्ड पारित किया गया है। अतः पुनः सर्वे करवाया जाकर 120 अमरुद्ध के पेडो की 7 वर्ष पुराने पेडो के हिसाब से कुल राशि 31,01,040/-रु मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत प्रार्थी द्वारा पूर्व मे आपत्ति प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नहीं की गयी है। अतः ख0न0 289 पर लगे हुए अमरुद्धो के पेडो की सही संख्या 135 एवं सही आयु 7 वर्ष पुराने मानते हुए मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

.....(1).....

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की किस्म बारानी-2 निजी सिंचित दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष में जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जैसापुरा की भूमि ख0न0 289 रकबा 0.97 है0 में से अवाप्त भूमि 0.2238 है0 का अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति 3,35,852/-रु रमेश,हरकेश,बुद्धिप्रकाश,बाबूलाल पिसरान जगदीश,रमेशी,बाबूडी पुत्रिया जगदीश हिस्सा 1/6 हि.ब. रामकेश,कमलेश,झण्डू पिसरान बदरी हिस्सा 3/24, मु. कजोडी बेवा बदरी हिस्सा 1/24, रामस्वरूप पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/8, केदार पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, अर्जुन पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/8, चालाराम, सूरजमल पिसरान गंगाराम हिस्सा 2/8 के नाम तय किया गया। उक्त भूमि एवं उस पर स्थिति परिसम्पति 35 अमरुदों के वृक्षों की अवार्ड राशि का आपसी सहमति से अनुसार प्रार्थी को 1,33,350/-रु का अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार अवाप्त भूमि एवं परिसम्पति का हितबद्ध व्यक्तियों को उनके हिस्सानुसार अवार्ड जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।


.....(2).....


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम जैसापुरा के ख0न0 289 रकबा 0.97 है0 मे से 0.2238 है0 भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त हुई है। अवाप्त भूमि 0.2238 है0 का अवार्ड राशि 3,35,852/-रु हितबद्ध व्यक्ति रमेश,हरकेश,बुद्धिप्रकाश,बाबूलाल पिसरान जगदीश, रमेशी,बाबूडी पुत्रिया जगदीश हिस्सा 1/6 हि.ब. रामकेश,कमलेश,झण्डू पिसरान बदरी हिस्सा 3/24, मु. कजोडी बेवा बदरी हिस्सा 1/24, रामस्वरूप पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/8, केदार पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, अर्जुन पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/8, चालाराम, सूरजमल पिसरान गंगाराम हिस्सा 2/8 के नाम तय किया गया। उक्त भूमि एवं उस पर स्थिति परिसम्पति 35 अमरूदों के वृक्षों की अवार्ड राशि का आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी कमलेश को 1,33,350/-रु का अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार अवाप्त भूमि एवं उसपर स्थित परिसम्पति का अवार्ड राशि हितबद्ध व्यक्तियों को उनके हिस्सानुसार जारी किया गया है जिसमें प्रार्थी को भी अपने हिस्से के अनुसार अवार्ड राशि प्राप्त हुई है एवं 35 अमरूद के पेड़ों का अवार्ड स्वयं प्रार्थी के नाम जारी हुआ है। प्रार्थी द्वारा अमरूदों के 120 पेड़ों की अवार्ड राशि 7 वर्ष पुराने पेड़ों के हिसाब से चाही गयी है किन्तु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिसके आधार पर ख0न0 289 रकबा 0.2238 है0 पर 120 अमरूद के पेड़ 7 वर्ष पुराने होने की पुष्टि होती हो। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी/हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में भूमि एवं परिसम्पति का अवार्ड विधिसम्मत पारित होना पाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अवार्ड के स्वामित्व को लेकर पक्षकारान मध्य विवाद होने की स्थिति में स्वामित्व का निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर